


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में निम्नानुसार कॉलम संख्या 05 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	आदेश दिनांक एवं आदेश में क्र.सं.	वांछित संशोधन जो किया जाना है
1	ललिता उमेश शर्मा, भूदोली (सीकर)	गणित	17.09.2019 (क्र.सं. 02)	अवैतनिक अवकाश स्वीकृति आदेश में इनके नाम के सामने क्र.सं. 03 में अंकित विषय भौतिक विज्ञान के स्थान पर गणित संशोधित पढ़ा जावें।
2	कमलेश कुमार खटोड़, कपासन (चित्तौड़गढ़)	भौतिक	13.11.2019 (क्र.सं. 14)	स्थाईकरण स्वीकृति आदेश में इनके कार्यग्रहण तिथि 26.06.2017 के स्थान पर 25.06.2017 एवं स्थाईकरण तिथि 26.06.2019 के स्थान पर 25.06.2019 संशोधित पढ़ा जावें।
3	संजय भादू, नापासर (बीकानेर)	गणित	03.12.2019 (क्र.सं. 01)	निदेशालय में एपीओ अवधि 08.09.2019 से 09.09.2019 के स्थान पर एपीओ अवधि को कर्तव्य ड्यूटी 08.07.19 से 09.07.19 संशोधित पढ़ा जावें।


शेष नियम व शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 03/01/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगकृ/संशोधन/2019-20/130
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संभाग मुख्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्राधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये। उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसएलपी संख्या 14306-14310/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में जारी किया जाता है। राज्य सरकार के स्वीकृति पत्रांक प. 17(66) माध्य/शिक्षा-2/विप्र/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में रिशफल परिणाम उपरान्त अचयनित अभ्यर्थियों के संलग्न सूची में अंकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्राधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है। उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से जारी निर्देश के पश्चात् आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे:-

क्रसं	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BC	166	-	राजेश कुमार, गंगधार (झालावाड़)	गणित	10/12/1985	01-08-17	01-08-19
2	GE	117	-	देशबन्धु तोतला, करजू (छोटी सादड़ी) प्रतापगढ़	गणित	7/7/1982	02-08-17	02-08-19
3	SC, WE	253	-	सोनिया खोईवाल, भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़)	गणित	25/12/1991	20-10-16	20-10-18
4	ST, WE	264	-	पिस्ता मीना, गांगदवाडी (दौसा)	गणित	7/7/1994	19-10-16	19-10-18
5	BC, DC, RG, NG	152	-	गुणेश कुमार सोनी, रामसर (बाड़मेर)	गणित	12/4/1984	19-10-16 गयाहन पश्चात्	20-10-18
6	GE, RG, NG	110	-	विकास राक्सेना, छीपावड़ौद (वारा)	गणित	2/7/1977	11-08-17	11-08-19



(हिमांशु गुप्ता)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/गणित/प्रो.ट्रे/शून्य मेरिट/स्थाईकरण/2015/2018-19/118 दिनांक:- 03/01/2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/गणित/प्रो.ट्रे/शून्य मेरिट/स्थाईकरण/2015/2018-19 दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
6. सिस्टम एनेलैसिसट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर